बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक.....2015

विषयः– **"उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग" का गठन।**

सुशासन के कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य की उच्च जातियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के, सभी क्षेत्रों में सम्यक् विकास हेतु राज्य की उच्च जातियों में से कमजोर वर्गों के लोगों को चिह्नित करने, उच्च जातियों के लोगों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का समग्र अध्ययन कर, पिछड़ेपन के कारणों एवं उन्हें दूर करने के उपायों पर विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करने एवं इनकी शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति के उन्नयन तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प-संख्या-314 दिनांक 31.01.2011 द्वारा "**उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग**" का गठन किया गया था।

2. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा "एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट"(आद्री) नामक संस्था से राज्य की उच्च जातियों का सर्वेक्षण कराते हुए एवं "आद्री" के प्रतिवेदन एवं अनुशंसाओं को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए आयोग की अनुशंसाएँ राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है। "उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग" के गठन का उद्देश्य पूरा हो जाने के कारण इसे भंग किया गया हैं।

3. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग से प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदन के अध्ययन के साथ ही स्वतंत्र रूप से अध्ययन/सर्वेक्षण कर राज्य की उच्च जातियों के कमजोर वर्गों के उन्नयन एवं उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे का कार्य करने के लिए एक नये आयोग के गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा "उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना" के गठन का निर्णय लिया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में इस आयोग का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

(i) **आयोग का गठन :–** इस आयोग का गठन निम्नांकित को मिलाकर होगा :–

(क) अध्यक्ष;

(ख) उपाध्यक्ष एवं

(ग) तीन सदस्य।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ii) **आयोग का कार्य एवं दायित्व** :–(क) उच्च जातियों में से शैक्षणिक, आर्थिक आदि रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को जिलावार चिह्नित करना;

(ख) "उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग" से प्राप्त "आद्री" के प्रतिवेदन में उपलब्ध सर्वेक्षण-रिपोर्ट के साथ ही स्वतंत्र रूप से राज्य की उच्च जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक आदि रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की शैक्षणिक, आर्थिक आदि स्थिति का जिलावार अध्ययन करना एवं उन वर्गों के सर्वांगीण विकास के उपायों पर राज्य सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन एवं अनुशंसा प्रस्तुत करना;

(ग) राज्य की उच्च जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक आदि रूप से कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक आदि विकास तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा करना;

(घ) अन्य कोई विषय जो राज्य सरकार आयोग को सौंपे;

(च) आयोग अपने दायित्वों के निर्वहन आदि हेतु प्रक्रिया का विनिश्चय स्वयं करेगा।

नोट :– आयोग अपने कार्यों के संपादन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी से आवश्यक सूचना माँगने तथा अधिकारियों की बैठक बुलाने के लिए सक्षम होगा।

(iii) (क) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, पदभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों का होगा;

(ख) आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा;

(ग) राज्य सरकार उपयुक्त कारणों से, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा/एवं किसी सदस्य को उनके पद से विमुक्त कर सकेगी।

(iv) आयोग के सचिव, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन-भत्ते, अनुमान्य सुविधाएँ तथा आयोग में पदस्थापित सचिव, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा-शर्त्तें, सरकार द्वारा अलग से विहित की जायेगी।

राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सेवा अथवा राज्यान्तर्गत सेवा के किसी भी सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी को आयोग के सचिव के पद पर नियुक्त/मनोनीत करेगी।

(v) <u>वित्त, लेखा एवं अंकक्षेण</u> :– आयोग को उसके कार्यों के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध करायेगी।

(vi) <u>प्रतिवेदन/अनुशंसा</u> :– आयोग द्वारा प्रतिवेदन/अनुशंसा राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

आदेश – अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/8/2015

(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–21/उ०जा०रा०आ०-02/2011 सा0प्र0 12594 /पटना–15, दिनांक 25.08.2015

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, (ई-गजट शाखा) को दो प्रतियों में सी०डी०सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 50 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

25/8/2015

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–21/उ०जा०रा०आ०-02/2011 सा0प्र0 12594 /पटना–15, दिनांक 25.08.2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग (नवगठित) बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें।

25/8/2015

सरकार के अपर सचिव।